

**फर्द अहकाम**  
**न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर**  
**काशा बन्धु लाली**

केस संख्या : 18/23 हा.प.

आज्ञा विरुद्ध रूप से

केस संख्या

केस संख्या  
दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

17/10/2024

पंजावली प्रस्तुत। प्राची ने मूल वाद में क्राची 1, 2, 5 की डेक रिपोर्ट पेश की। दुताधिक डेक रिपोर्ट तारीख पूर्ण है। क्राची 1 ता ॥ बाबुत तारीख अनुपस्थित है। क्रा. ता. पेशी पर अनुपस्थित रहे पा एकपक्षीय कार्यवाही की जाती। पंजावली दिनांक 28/10/2024 को पेश हो।

**सहायक कलक्टर**  
**आमेर मु. जयपुर**

28/10/2024

पंजावली प्रस्तुत। प्राची अधिवक्ता उपस्थित। क्राची 1 ता ॥ आज भी अनुपस्थित है। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्राची अधिवक्ता एकपक्षीय अन्तर्गत बहाना सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों के अनुपात प्रथम इच्छा मामला प्राची के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्राची पर अस्पर्श निषेधणा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रपत्र से लिखव गया। पंजावली फैसल शुगर होकर दारिखल फल (हो)।

**सहायक कलक्टर**  
**आमेर मु. जयपुर**

न्यायालय :- सहायक कलेक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: अंजू वर्मा  
आर.ए.एस.



प्रार्थना पत्र संख्या- 18/2023

आशा देवी पुत्री चौथूराम जाति मीणा निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. लालीदेवी पुत्री चौथूराम
2. जमना देवी पुत्री चौथूराम
3. नन्दाराम पुत्र चौथूराम
4. बिरदीचन्द पुत्र भूरा
5. बिरदी देवी पुत्री चौथूराम
6. रामपाल पुत्र चौथूराम
7. ललिता पुत्री चौथूराम
8. शंकर पुत्र चौथूराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक तहसील आमेर, जिला जयपुर
11. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरनाडूंगर जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक ।

.....अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 28.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष सच्चे, सुदृढ व ठोस आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है । विवादित आराजी ग्राम बैनाडमयदौलतपुरा जिला जयपुर के खाता संख्या नया 69 पुराना 67 के खसरा नम्बर 536 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563/888 रबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.5800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 635 रकबा 0.0100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 636 रकबा 0.5300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 656/1051 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल कित्ता 7 रकबा 1.6800 हैक्टेयर में प्रार्थीया का हिस्सा 1/16 निहित है तथा शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज व अंकित चला आ रहा हैं । इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074-2077 में

सहायक कलेक्टर  
आमेर म. जयपुर


प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काशत निरन्तर चलें आ रहें है और अपने-अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करतें आ रहें अब अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ गई है और वे विवादित भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये बिना ही संयुक्त खातेदारी की विवादित भूमि के विशेष भू-भाग पर कब्जा करके पुख्ता पक्का निर्माण करने, भूमि के विशेष भू-भाग की ओर ईशारा करते हुए भूमि विक्रय करने की वार्तालाप करते हैं।  
। दिनांक 17-01-2023 को अप्रार्थीगण विवादित भूमि के विशेष भूदृभाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करने एवं पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करने के कुत्सित उद्देश्य से मौके पर निर्माण सामग्री डालने लगे इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत अप्रार्थीगण की तलवी की गई बावजूद अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार विवादित आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काशत है। जब सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काशत है तो अप्रार्थीगण को ऐसी स्थिति में भी पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी को अपना वाद अभी साबित करना शेष है प्रार्थी ने यह भी साबित नहीं किया है कि अप्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि पर निर्माण कर रहे हो। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर